राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 898/2024

रामदयाल माली **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पीपलू, जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को अग्रिम आदेशों तक वर्तमान ग्राम पंचायत गहलोद से कार्यव्यवस्थार्थ आवंटित ग्राम पंचायत कुरेडा में लगाया गया। अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत कुरेडा, पंचायत समिति पीपलू, जिला टोंक में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा पंचायत समिति पिपलू जिला टोंक में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के एवं बिना जिला परिषद की सक्षम स्थायी समिति की अनुमति के एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायत रूल 334 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण 3 वर्ष से पूर्व नहीं किया जाना चाहिये, का उल्लंघन करते हुए किया गया है, जो विधि–विरूद्ध एवं अनुचित है। अपीलार्थी को यात्रा–भत्ता एवं योगकाल भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी का पिता कैंसर रोग से पीड़ित है।

जिनको अस्पताल में दिखाने के लिए अपीलार्थी को जाना पड़ता है। उनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत रखा जावें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत कुरेडा, पंचायत समिति पीपलू, जिला टोंक में कार्यरत है। प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पिपलू की बैठक दिनांक 20.02.2024 के प्रस्ताव संख्या 01 की पालना में अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा पंचायत समिति पिपलू, जिला टोंक में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य